न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 39 / 2021 राजस्व वाद

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री नाथू लाल गुर्जर आयु 50 वर्ष निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89–92–क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादीया
2. परोकार सरकार ——अधिवक्ता प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक–16.08.2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89,92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि सरहद ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1748 सत्रह सौ अड़चास रकबा 0.9989 हैक्टयर (03 बीघा 19 बिस्वा), आराजी नम्बर 1749 सत्रह सौ उनपचास रकबा 0.2023 हैक्टयर (16 बिस्वा), आराजी नम्बर 1750 सत्रह सौ पचास रकबा 0.1391 हैक्टयर,(11 बिस्वा) आराजी नम्बर 1751 सत्रह सौ इक्यावन रकबा 0.1012 हैक्टयर (08 बिस्वा) भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादीया द्वारा दिनांक 27 सताईश सितम्बर 2009 दो हजार नो को तत्कालीन खातेदार भैरू सिंह पुत्र श्री गिरवर सिंह राजपूत निवासी– ज्ञानगढ़ से रजिस्टर्ड विकयपत्र के जरिये कय कर अपने आधिपत्य मे प्राप्त की गयी, तभी से वादीया उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादीया वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात पर बहैसियत मालिक काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है व वादीया द्वारा पटवार हल्का को भी रजिस्टर्ड विकयपत्र की प्रति दी गयी व पटवार हल्का द्वारा वादीया को विश्वास दिलाया गया कि उक्त भूमि वादीया के नाम पर दर्ज कर दी जायेगी। वादीया वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात पर निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे निरन्तर रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। दिनांक 10 दस मार्च 2021 दो हजार इक्कीस को प्रतिवादी के नुमाइंदे कर्मचा[illegible] आये व वादीया को जबरन मौके से बेदखल करने लगे व वादीया की भूमि [illegible] चारागाह के रूप मे दर्ज होने की बात बतायी व वादीया को [illegible] दी। इस पर वादीया ने राजस्व रेकार्ड की जानकारी की तो वादीया को जानकारी मे आया कि वादीया द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजि[illegible] खातेदार से रजिस्टर्ड विकयपत्र के जरिये कय की गयी व वादीया मालिक काबिज है, लेकिन राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

कर्मचारीयो द्वारा उक्त भूमि को वादीया के नाम पर दर्ज नही किया गया व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के व बिना वादीया को सुने उक्त आराजियात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया है, जो वादीया राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम से हटाकर अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है व साथ ही वादीया को यह भी जानकारी मे आया कि आराजी नम्बर 1748 वादीया को केता द्वारा जिस जगह पर कब्जा दिया गया, उसी जगह पर वादीया काबिज है, लेकिन उक्त आराजी नम्बर को राजस्व कर्मचारीयो द्वारा साबिक नक्शे अनुसार तरमीम नही किया गया है, जिससे वादीया का चारागाह आराजी नम्बर 1806 मे से 19 बिस्वा पर कब्जा आ रहा है। वादीया राजस्व नक्शे मे आराजी नम्बर 1748 को साबिक नक्शे व कब्जे अनुसार तरमीम करवाने की अधिकारीणी है। वादीया को उक्त गलत इन्द्राज व तरमीम की जानकारी होने पर वादीया द्वारा दिनांक 18 अठारह मार्च 2021 दो हजार इक्कीस को प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि वादीया के नाम पर दर्ज करने व नक्शे मे भी भूमि तरमीम करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी द्वारा साफ मना कर दिया व भूमि राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम व चारागाह दर्ज होने से वादीया को जबरन बेदखल करने की धमकी दी। वादीया की उक्त रजिस्टर्ड विकयपत्र के जरिये कयशुदा भूमि को बिलानाम दर्ज कर देने व भूमि को गलत तौर राजस्व नक्शे मे साबिक नक्शे अनुसार तरमीम नही करने से प्रतिवादी वादीया को जबरन मौके से बेदखल करने पर आमादा है व यदि वादीया को बेदखल कर दिया गया तो वादीया व उनका परिवार जो कृषि कार्य पर निर्भर है, वादीया उनके परिवारजन जो कि उक्त कृषि भूमि पर आश्रित है, जिनके भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। इस कारण से वादीया के पक्ष मे एवं प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाने हेतु निवेदन किया गया। ... आदि।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया। बाद जवाब मामले मे निम्न विवाद्यक कायम किये गये–

1. कि आया वादीया सरहद ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1748 रकबा 0.9989 हैक्टयर (03 बीघा 19 बिस्वा), आराजी नम्बर 1749 रकबा 0.2023 हैक्टयर (16 बिस्वा), आराजी नम्बर 1750 रकबा 0.1391 हैक्टयर (11 बिस्वा) आराजी नम्बर 1751 रकबा 0.1012 हैक्टयर (08 बिस्वा) वादीया द्वारा रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर कयशुदा होने से वादीया अपने नाम पर दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है ? ——बजिम्मे प्रतिवादी

2. कि आया वादीया वादपत्र मे वर्णितानुसार कब्जे अनुसार भूमि तरमीम कराने की अधिकारीणी है ? ——बजिम्मे प्रतिवादी

3. आया प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे मे [illegible] पर वादी का वाद चलने योग्य नही है ? —— बजिम्मे प्रतिवादी

4. अनुतोष–

वादीया की ओर से रजिस्टर्ड विकयपत्र की प्रति [illegible] की गयी व वादीया व स्वतंत्र गवाहान के शपथपत्र भी पेश किये गये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

कि वादीया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की प्रति पेश की , जिससे वादीया द्वारा उक्त आराजियात रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर क्रय करना प्रथमतः साबित है व गवाहान द्वारा वादीया का मौके पर कब्जा काश्त होने बाबत कथन किया गया है।

वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीया द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए उक्त रजिस्टर्ड विक्रयशुदा भूमि को खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया व कब्जे अनुसार भूमि को तरमीम करने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रतिवादी के जवाब दस्तावेजात का अध्ययन कर अवलोकन किया पक्षकारान के अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी की बहस सुनी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे वादीया द्वारा भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय करना पाया गया है व कब्जा भी वादीया का पाया गया। जिससे वादीया को भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीया का वादपत्र स्वीकार कर सरहद ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1748 रकबा 0.9989 हैक्टयर (03 बीघा 19 बिस्वा), आराजी नम्बर 1749 रकबा 0.2023 हैक्टयर (16 बिस्वा), आराजी नम्बर 1750 रकबा 0.1391 हैक्टयर, (11 बिस्वा) आराजी नम्बर 1751 रकबा 0.1012 हैक्टयर (08 बिस्वा) का वादीया को दिनांक 27/09/2009 के रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घौषित किया जाकर बिलानाम सरकार से हटायी जाकर वादीया के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज की जाने व मौके पर कब्जे अनुसार भूमि राजस्व नक्शे मे तरमीम की जावे व प्रतिवादी वादीया को उक्त आराजियात से जबरन मौके से बेदखल नही करने व वादीया को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इस हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कर पांबद किया जाता है। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी हो। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,
करेड़ा, भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 39 / 2021 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89,92–क व 188 आर.टि.एक्ट
श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री नाथू लाल गुर्जर आयु 50 वर्ष निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––
वादीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
–– प्रतिवादी

वादीया की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 16.08.2021 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

वादीया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार कर वादीया का वादपत्र स्वीकार कर सरहद ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1748 रकबा 0.9989 हैक्टयर (03 बीघा 19 बिस्वा), आराजी नम्बर 1749 रकबा 0.2023 हैक्टयर (16 बिस्वा), आराजी नम्बर 1750 रकबा 0.1391 हैक्टयर, (11 बिस्वा) आराजी नम्बर 1751 रकबा 0.1012 हैक्टयर (08 बिस्वा) का वादीया को दिनांक 27 / 09 / 2009 के रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घौषित किया जाकर बिलानाम सरकार से हटायी जाकर वादीया के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज की जाने व मौके पर कब्जे अनुसार भूमि राजस्व नक्शे मे तरमीम की जावे व प्रतिवादी वादीया को उक्त आराजियात से जबरन मौके से बेदखल नही करने व वादीया को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इस हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी कर पांबद किया जाता है। इसी अनुसार निर्णय व डिकी की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 16.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner